न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 04 / 2025
दायर दिनांक : 16 / 01 / 2025
निर्णय दिनांक : 10 / 07 / 2025

उनवान

1. दिनेशचन्द्र पिता सोहनलाल खटीक निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
2. पिन्टी उर्फ जशोदादेवी पुत्री सोहनलाल पत्नी कस्तूरचन्द खटीक निवासी आकोला हा.मु.हथियाना तह.कपासन
3. सजनादेवी पुत्री सोहनलाल पत्नी प्रकाशचन्द्र खटीक निवासी आकोला हा.मु. कानडखेड़ा तह. भूपालसागर

वादीगण

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर
2. कविता पुत्री सोहनलाल खटीक निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
3. भागवती पुत्री सोहनलाल खटीक निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
4. किशनलाल पिता छोगा खटीक निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
5. रोशनलाल पिता छोगा खटीक निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
6. भैरूलाल पिता छोगा खटीक निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
7. मंगीलाल पिता उदयलाल खटीक निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
8. धापू पत्नी उदयलाल खटीक निवासी आकोला तहसील भूपालसागनर

प्रतिवादी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :– 1. श्री पवन जायसवाल, अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार
3. श्री देवीलाल जाट, अधिवक्ता प्रतिवादी

: निर्णय :

वकील वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 7 नियम 1 व 2 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आकोला प.ह. आकोला तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में हाल जमाबंदी में दर्ज हाल खाता सं. 105 के हाल आ.सं. 908, 913, 914, 1469, 1472, 3806, 3827, 3831 कुल किता 8 कुल रकबा 2.11 है. स्थित है, जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में हक हिस्से अनुसार हिस्सा दर्ज है जो हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 की माता बसन्तीदेवी की मृत्यु दिनांक 12.04.2022 हो चुकी है वहज सबूत नकल जमाबंदी हाल साथ संलग्न है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता सोहनलाल पिता छोगालाल खटीक की मृत्यु हो जाने के बाद विरासत से नामान्तरकरण वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के इनकी माता बसन्तीदेवी पत्नी सोहनलाल के नाम खोला गया जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 तक की माता बसन्तीदेवी का नाम घर में पुकारा जाने वाला नाम सन्तुडी है जबकि बसन्तीदेवी का उपनाम है।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता सोहनलाल पिता छोगालाल खटीक की मृत्यु हो जाने के बाद विरासत से नामान्तरकरण वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के इनकी माता बसन्तीदेवी पत्नी सोहनलाल के नाम खोला गया जिसमें वादी संख्या 2 जशोदा का नाम घर में पुकारा जाने वाला पिन्टी को दर्ज कर दिया जबकि दस्तावेजी नाम जशोदादेवी खटीक है पिन्टी का दस्तावेजी एवं जगजाहिर नाम जशोदादेवी खटीक है। उपरांकित रेवेन्यू रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की माता का नाम सन्तुडी व वादिया जशोदा का नाम पिन्टी रह जाने से वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित उक्त आराजियात के हिस्से को आबदान करने, राजकीय कृषि योजनाओं का लाभ, ऋण आदि लेने से वंचित रहते हैं इसलिए सन्तुडी का नाम को हटा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 से 3 तक की माता का जग जाहिर और प्रचलित नाम बसन्तीदेवी उर्फ सन्तुडी तथा वादिया जशोदा उर्फ पिन्टी किये जाने की घोषणा के जरिये अंकित किये जाने की प्रार्थना है। उक्त अंकन शुद्ध किये जाने से प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है।

यह कि वादवर्णित आराजियात में सह खातेदार राजू पिता सोहन लाल लाऔलाद फौत होने से पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा खातेदार उदयलाल पिता छोगा की मृत्यु होने से प्रतिवादी संख्या 6 व 7 विधिक वारिस होने से पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादीगण सह खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये हैं। प्रतिवादी संख्या 1 रेवेन्यू रिकार्ड अधिकारी है, जो कि उक्त इन्तकाल कार्यवाही में अधिनस्थ

कर्मचारियो ने वादिया जशोदा व बसन्तीदेवी का नाम सही अंकित नहीं किया है। प्रतिवादी सं. 1 भूमिधारी तहसीलदार होने से इनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व नोटिस देना होता है लेकिन वाद आवश्यक प्रकृति का होने से दफा 80 (2) नोटिस देकर अलग से स्वीकृति चाही है। गलत इन्द्राज की जानकारी वादी को दिनाक 07.11.2024 को हाल जमाबंदी की नकल लेने से हुई। जिससे बिनाय वाद कारण उक्त दिनांक से पैदा होकर निरन्तर जारी है। वादपत्र के साथ वादीगण की माता बसन्तीदेवी के दस्तावेज, आधारकार्ड, गैस कनेक्शन डायरी, राशनकार्ड, जनआधार, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वादिया जशोदा के दस्तावेज आधार कार्ड, पेनकार्ड, जनआधार कार्ड की फोटो प्रति संलग्न है। वादपत्र की ताईद में वादिया का शपथ पत्र पेश है। अतः प्रार्थना है कि रेवेन्यू रिकार्ड अंकन शुद्धि की घोषणा की डिक्री ग्राम आकोला के हल्के बैरूनी में वादपत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित आराजियात में सन्तुडी पत्नी सोहनलाल लिखा है के बजाय प्रचलित जगजाहिर नाम एवं दस्तावेजी नाम बसन्तीदेवी पत्नी सोहनलाल खटीक तथा वादिया जशोदा का नाम पिन्टी पुत्री सोहनलाल लिखा है के बजाय प्रचलित जगजाहिर एवं दस्तावेजी नाम जशोदादेवी खटीक उर्फ पिन्टी खातेदार अंकन किये जाने का आदेश फरमावें। हर्जा खर्चा मुकदमा मेहनताना वकील व अन्य मुफिद दाद वादीगण को दिलाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 2 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री देवीलाल जाट ने अधिकार पत्र पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 पैरोकार सरकार का जवाब शामिला पत्रावली है।

वकील वादी द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली दिनांक 01.07.2024 को तलब की गई। वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ साक्ष्य वादी में दिनेशचन्द्र PW 1 सजनादेवी PW 2, किशनलाल PW 3, रोशनलाल PW 4, पिन्टी उर्फ जशोदा PW 5, के पेश किये। वकील प्रतिवादी ने प्रतिवादी सख्या 4 व 6 की ओर से स्वीकारोक्ति जवाब प्रस्तुत किया साथ ही साक्ष्य प्रतिवादी में किशनलाल DW 1 का शपथ पत्र पेश किया। शेष प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 7 व 8 की ओर से जवाब प्रस्तुत करने के अवसर दिये जाने के पश्चात भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने से इनका जवाब दिनांक 08.07.2025 को बंद किया गया। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब दिनांक 07.03.2025 में अंकित किया कि वादपत्र की कॉलम सं. 1 वर्तमान जमाबंदी रिकार्ड अनुसार स्वीकार है। कॉलम सं. 2 आंशिक स्वीकार है शेषवादी स्वयं सिद्ध करावें। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की माता का उपनाम बसन्ती होना एवं वादी सं. 2 का उपनाम जशोदा होना वादी स्वयं सिद्ध करावें। वादपत्र की कॉलम सं. 4 वादी स्वयं सिद्ध करावें एवं वादपत्र की कॉलम सं. 5 से 13 माननीय न्यायालय से संबंधित है।

प्रतिवादी सं. 4 व 6 द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित किया कि वादपत्र की कॉलम सं. 1 से 5 स्वीकार है, कॉलम सं. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कानूनी होकर न्यायालय के विचारणीय है, वादीगण की प्रार्थना स्वीकार है तथा जवाबदावा की ताईद में प्रतिवादीगण का शपथ पत्र संलग्न है।

प्रतिवादीगण का जवाब स्वीकारोक्ति का होने से तनकियात कायम नहीं की गई पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वर्तमान ग्राम आकोला की हाल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 प्रदर्श 1, नगरपालिका आकोला द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 06.11.2024 प्रदर्श 2, बसन्तीदेवी के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक फोटो प्रति दिनांक 6.5.22 प्रदर्श 3 A जिस पर A से B हस्ताक्षरित है। पेश किये गये एवं मौखिक साक्ष्य में स्वयं वादी दिनेशचन्द्र पिता सोहनलाल PW 1 एवं पिन्टी उर्फ जशोदादेवी PW 5 के बयान लेखबद्ध कराये। वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रतिवादीगण का इकबालिया जवाब होने से और गवाह पेश नहीं करना चाहता हूं एवं जिरह भी नहीं चाहता हूं। वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया कि जवाब इकबालिया होने से गवाह पेश नहीं करना चाहता हूं एवं जिरह भी नहीं करना चाहता हूं।

हमने वादपत्र उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। वकील वादीगण ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता सोहनलाल पिता छोगालाल खटीक की मृत्यु हो जाने के बाद विरासत से नामान्तरकरण वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के इनकी माता बसन्तीदेवी पत्नी सोहनलाल के नाम खोला गया जिसमें वादी संख्या 2 जशोदा का नाम घर में पुकारा जाने वाला पिन्टी को दर्ज कर दिया जबकि दस्तावेजी नाम जशोदादेवी खटीक है पिन्टी का दस्तावेजी एवं जगजाहिर नाम जशोदादेवी खटीक है। उपरांकित रेवेन्यू रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की माता का नाम सन्तुडी व वादिया जशोदा का नाम पिन्टी रह जाने से वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित उक्त आराजियात के हिस्से को आबदान करने, राजकीय कृषि योजनाओं का लाभ, ऋण आदि लेने से वंचित रहते हैं इसलिए सन्तुडी का नाम को हटा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 से 3 तक की माता का जग जाहिर और प्रचलित नाम बसन्तीदेवी उर्फ सन्तुडी तथा वादिया जशोदा उर्फ पिन्टी किये जाने का निवेदन कर वादपत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

वकील प्रतिवादीगण ने जवाबदावा के कथनों को दोहराते हुए वादपत्र स्वीकार किया जाने में कोई आपत्ति नहीं होने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जवाब अनुसार ही निवेदन किया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क वितर्क पर मनन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होने से वादीगण अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्य सामग्री दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा वाद के संलग्न दस्तावेजों से, वादीगण के शपथ–पत्र, उक्त दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के शपथ–पत्र व वकील उभय की बहस के आधार पर वादीगण का वाद अंर्तगत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रमाणित पाया जाने के कारण स्वीकार किया जाता है। एवं तहसीलदार, भूपालसागर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम आकोला प.ह. आकोला तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में हाल जमाबंदी में दर्ज हाल खाता सं. 105 के हाल आ.सं. 908, 913, 914, 1469, 1472, 3806, 3827, 3831 कुल किता 8 कुल रकबा 2.11 है. में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 की माता का नाम सन्तुडी के बजाय सन्तुड़ी उर्फ बसन्तीदेवी तथा वादिया सं. 2 का नाम पिन्टी के बजाय पिन्टी उर्फ जशोदादेवी अंकित किया जावे, उक्त आराजियात में हिस्सा पूर्वानुसार रहकर प्रभावित नहीं होगा। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिकी पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर